कार्यालय,
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या–4783-90 /2019–20/अधि0 दिनांक 25 जून,2019

–: आदेश :–

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVi(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक 2017 प्रख्यापित किया गया है, में उल्लिखित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या–152/XXX(2)/19/30(13)/2019 दिनांक 07 जून,2019 के प्राविधानों के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर श्रेणी 'ग' के निम्नांकित मिनिस्ट्रीरियल कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में उल्लिखित स्थान/कार्यालय से स्तम्भ–4 में उल्लिखित स्थान/कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है :–

क0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री नवीन रावत वरिष्ठ सहायक	कार्यालय–जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उधमसिंहनगर	कार्यालय–जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बागेश्वर	जनहित धारा 7क एवं ख
2	श्री नन्दन सिंह वरिष्ठ सहायक	कार्यालय–जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बागेश्वर	कार्यालय–जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उधमसिंहनगर	जनहित धारा 10कएवं ख
3	श्रीमती नीतू सिंह कनिष्ठ सहायक अधिसंख्य	कार्यालय अधीक्षक ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी हरिद्वार	कार्यालय–जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी देहरादून	अनुरोध धारा 13(3) धारा 17ख(चार)
4	श्री रणवीर सिंह कनिष्ठ सहायक अधिसंख्य	कार्यालय–जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तरकाशी	कार्यालय–जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी देहरादून	अनुरोध धारा 13(4) धारा 17ख(एक)

1. सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त/कार्यमुक्त होंगे। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा धारा–23 (12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित समयान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि(Joining time) का उपभोग, नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि(journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
2. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(प्रो0 अरूण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तरकाशी, उधमसिंहनगर, बागेश्वर, देहरादून।
4. अधीक्षक, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी हरिद्वार।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी हरिद्वार, उत्तरकाशी, उधमसिंहनगर, बागेश्वर, देहरादून।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष।
7. विभागीय वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

(प्रो0 अरूण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक

Scanned by CamScanner